

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से सौंकिया जाए व
कि किसी अन्य पराधिकारी के नाम से।
सम्बद्धित विषय पर यदि धूर्त में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनिवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,

जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक-एक/सम्बद्धता/2009/118

दिनांक: 25/03/13

// संशोधित सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध गांधी वोकेशनल महाविद्यालय, कुशमोदा, ए.बी. रोड, गुना (07542-399604) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.पी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर वे विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेदन 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

1. प्रो. राजीव जैन, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
- (0751-2442766)
2. डॉ. केशव सिंह गुर्जर, आचार्य, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
3. डॉ. हेमन्त शर्मा, आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
4. डॉ. राजेन्द्र खटीक, उपाचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर थुक्क, धरोहर शाशि, गांधित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राथिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुपाति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्रावार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्रावार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त नियांत्रित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जगा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जगा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जायेगी यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही करता है तो समिति स्वतः विस्तृत हो जायेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण रुपय 25,000/- जगा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। परिवेदन 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवा छत्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुसुनियति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होंगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रावार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक नियांत्रित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)